



(प्रोटोकॉल)

Court Fee

समक्ष न्यायालय माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर
केंप भोपाल - म0प्र0

(35)

P.B.R | मिगरानी/होशंगाबाद/भरा/2018/प्रस्तुति दिनांक 10/09

महेश कुमार तिवारी
आ० स्व० श्री गेंदालाल तिवारी, उम्र 78 वर्ष,
निवासी 90- पारस मेजेस्टिक कालोनी,
त्रिलंगा, भोपाल - म0प्र0

पुनरीक्षण कर्ता

विरुद्ध

छापें अभिभाषक
श्री कानून धारीपाल
द्वारा आ० भरा १०-१२/१४
में भोपाल छूच में प्रस्तुत।

- ✓ 1 दिनेश कुमार तिवारी ✓
आ० स्व० श्री गेंदालाल तिवारी,
निवासी 42- पारस मेजेस्टिक कालोनी,
त्रिलंगा, भोपाल - म0प्र0
- ✓ 2 ललित किशोर तिवारी ✓
आ० स्व० श्री गेंदालाल तिवारी,
निवासी हरिशंकर मिठाई वाले का मकान,
शनीवरा भोहल्ला, कोरी घाट
होशंगाबाद - म0प्र0
- ✓ 3 श्रीमति कीर्ति शर्मा ✓
पत्नी स्व० डी०पी० शर्मा
द्वारा पुत्र भूपेंद्र शर्मा, जाणिज्य निरीक्षक
डी०आर०एम० ऑफिस, जबलपुर - म0प्र0
- 4 विजय कुमार तिवारी
आ० स्व० श्री गेंदालाल तिवारी,
निवासी पटेल शॉ मिल्स के सामने,
आर्वा, जिला वर्धा (महाराष्ट्र)
- 5 श्रीमति सुशीला पांडे
पुत्री श्री गेंदालाल तिवारी
आर्य समाज मंदिर के सामने, गंज सिहोर - म0प्र0
- ✓ 6 सुशील कुमार तिवारी
आ० स्व० श्री गेंदालाल तिवारी,
द्वारा बी०के० गंगेले, 61 प्रोफेसर कॉलोनी,
दमोह - म0प्र0
- 7 श्रीमति रक्षा नायक
पत्नी स्व० शैलेंद्र नायक
द्वारा श्रीमति सुशीला पांडे
आर्य समाज मंदिर के सामने, गंज सिहोर - म0प्र0

कोट:- माननीय न्यायालय के हाइकोर्ट दिनांक
29-8-18 के पात्र ने संशोधन दिया है।

⑧ रेवा शम झा, बीरतीर्थ नगर
कि:- इन रिविडिया कुमी तह वाकई फिरा होशंगाबाद

⑨ लालरिंदू झा, शोशनलता नगर
कि:- इन रिविडिया कुमी तह वाकई फिरा होशंगाबाद

⑩ नंमदा प्रसाद झा, शमन्तरा भाई
कि:- चौदाता भाई तह वाकई फिरा होशंगाबाद

प्रत्यर्थीगण

Signature

Signature

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

(अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद द्वारा प्रकरण क्र0 22/अपील/09-2010 में पारित आदेश दिनांक
12/12/2017 एवम 12/01/2018 के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./18/1069

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिकारकों आदि के हस्ताक्षर
29-1-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से श्री विनय जैन, अभिभाषक एवं अनावेदक क्रमांक 7, 8, 9 की ओर से श्री एस.आर. शर्मा, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 26-3-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । शेष अनावेदक सूचित हों ।</p> <p style="text-align: center;">   </p>	